

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

31 / 2016
05-02-2016

1. किशन |
2. गोपाल | पि० लादू जाति जाट निवासी डोरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. सकराम |
4. हनुमान |अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक (राज.)

..... रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार मालपुरा दि० 22.9.15 मि०सं० 989 / 15

उपस्थित: (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 17-06-2016

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा ग्राम डोरिया तह० मालपुरा के खसरा नम्बर 28/1 रकबा 14.01 बीघा में से रकबा 1.00 बीघा भूमि गै०मु० खारडा पर अपीलाण्ट्स द्वारा सम्वत 2072 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से वेदखल करते हुए 50/-रु० पेनल्टी आरोपित की है तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस बुलवाया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।
3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजों में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.09.2015 प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपकें द्वारा-2016 में पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट एक अतिचारी की श्रेणी में नहीं है बल्कि वर्षों से सदभावनापूर्वक काबिज है व शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं है, आर०आर०डी० 2001 पेज 401 के अनुसार पूर्व में पारित बदेखली का निर्णय पटवारी के बयानों में प्रदर्शित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व विधिवत सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया, बिना सुनवाई के तथा मौके पर जांच पडताल किये बिना तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त फरमाया जावे। ✓

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक
998

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में सम्वत 2058 में भी इसी विवादित भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया था। सम्वत 2072 में पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जो बयान पटवारी हल्का एवं नकल खसरा परिवर्तनशील सं० 2058 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.15 उचित है एवं अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का तुन्देडा ने अपीलान्ट्स द्वारा सम्वत 2072 में ख० नं० 28/1 रकबा 14.01 बीघा भूमि में से 1.00 बीघा गै० मु० खारडा भूमि वाके ग्राम डोरिया तह० मालपुरा पर अनाधिकृत रूप से बाडा बनाकर किये गये अतिक्रमण पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर तहसीलदार मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.15 द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट्स को पूर्व में किस ख.नं० की कितनी भूमि से पूर्व में कौन से वर्ष में किस मिसल नम्बर द्वारा कब बेदखल किया गया। पत्रावली में धारा 91 के नोटिस में किस वर्ष में भूमि पर अतिक्रमण करने या किस वर्ष में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है का उल्लेख नहीं है, बयान पटवारी हल्का में भी अंकित नहीं है कि किस पश्चातवर्ती वर्ष में अतिक्रमण किया था व अपीलान्ट्स को कब बेदखल किया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पत्रावली भी संलग्न नहीं की गई है और न ही बेदखलीनामा पत्रावली में संलग्न है। भौतिक रूप से बेदखल करने के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निर्णय से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है या उसे पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो। धारा 91 के नोटिस पर एक अपीलान्ट को छोड़कर शेष अपीलान्ट्स की तामील नहीं करवाई है जिससे यह जाहिर होता है कि सिविल कारावास जैसी कठोर सजा देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों से तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अपीलान्ट्स को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 22.09.2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक - राज०